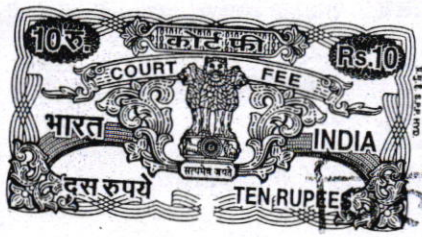

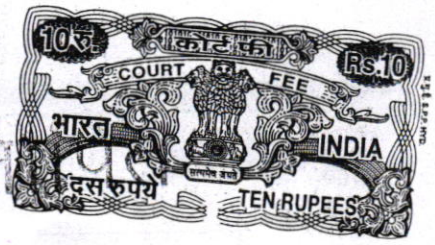

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2012 रिवीजन — R 3455-PBR/12

श्री अनिल गुप्ता, अभि० द्वारा आज दि. 8-10-12 को प्रस्तुत

8-10-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मनोहरलाल नागर पुत्र श्री बल्लभ नागर, निवासी– ग्राम चांचौडा, जिला गुना म.प्र.

……रिवीजनकर्ता

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा श्रीमान् अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र.

…… प्रतिरिवीजनकर्ता

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 22.06.2012 श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 7/2008-09 अपील

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3455-पीबीआर/12 जिला गुना

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-7-18	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा पर प्रस्तुत ग्राह्यता व अंमि तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया । 2- आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 7/अपील/2008-09 में पारित आदेश दि. 22-6-2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3- आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह कहा गया कि अपर आयुक्त के आदेश की जानकारी दिनांक 15-7-2012 को हुई जिसके बाद दिनांक 16-7-2012 को उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया गया तथा दिनांक 19-7-12 को प्रतिलिपि प्राप्त हुई जिसके पश्चात् आवेदक के गंभीर रूप से बीमार हो जाने के कारण निगरानी प्रस्तुत करने में बिलम्ब हुआ है । अत: विलम्ब का कारण सद्भाविक होने से विलम्ब क्षमा किया जाकर निगरानी समय सीमा में मान्य किये जाने का निवेदन किया गया । 4- अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यही कहा गया कि यह प्रकरण पुजारी की नियुक्ति से संबंधित है और पुजारी की नियुक्ति के प्रकरण का सुनवाई का क्षेत्राधिकार मण्डल को नहीं होने से यह निगरानी समाप्त की जाये । 5- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को अपर आयुक्त के आदेश की सत्यप्रतिलिपि दिनांक 19-7-2012 को प्राप्त हो गई थी फिर भी आवेदक के द्वारा इस न्यायालय में निगरानी दिनांक 8-10-12 को प्रस्तुत की गई है, जो कि स्पष्टत: समय बाह्य है । निगरानी प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब का कारण बीमारी बताया है परन्तु उक्त कारण के समर्थन में कोई मेडीकल सर्टिफिकेट एवं शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। वैसे भी यह प्रकरण पुजारी की नियुक्ति का है, जिसकी सुनवाई की अधिकारिता राजस्व मण्डल को नहीं है। अत: इस प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	